

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-1/स्टेनो/नि./2022/9053

दिनांक:- 05/8/2022

-::आदेश:-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में शीघ्रलिपिक के पद पर वित्त विभाग नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-10 के नियत पारिश्रमिक रुपये 23700/- प्रतिमाह की दर से अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	संवर्ग	चयन संवर्ग	नियुक्ति/पदस्थापन कार्यालय का नाम
1.	सुश्री जाग्रति सारस्वत/ मुकेश कुमार सारस्वत	16.12.1994	110020	5	GEN	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
2.	श्री मयंक जैन/महेन्द्र जैन	31.03.1996	101448	17	GEN - EWS	GEN	राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर
3.	श्री अजय प्रताप सिंह राठौड़/ नादान सिंह राठौड़	23.11.1998	110952	51	GEN - EWS	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
4.	श्री विष्णु कुमावत/ कुनण मल कुमावत	12.12.2000	108429	53	OBC	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
5.	श्री सत्य प्रसन्न सिंह राठौड़/ आनन्द सिंह राठौड़	23.06.1992	109792	57	GEN	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
6.	श्री शिव शंकर / सुनील कुमावत	20.09.1998	106804	60	OBC	GEN	विशेषाधिकारी (उप विधि परामर्शी), राजस्व मण्डल, अजमेर मुख्यालय कलेक्ट्रेट, जोधपुर
7.	श्री शिव प्रसाद साहू/ भवंर लाल साहू	03.02.1993	111117	65	OBC	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
8.	श्री मुकुल कछावा/ अमर चन्द कछावा	15.03.1998	111073	82	OBC	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
9.	श्री पुखराज/ देवेन्द्र प्रसाद	18.06.1997	108303	85	OBC	GEN	राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
10.	श्री रजत कुमार खारोल/ प्रवीण कुमार खारोल	02.11.1994	111104	111	OBC	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर
11.	श्री सुशील घिटाला/ ओमप्रकाश घिटाला	25.12.2001	112047	132	OBC	GEN	राजस्व मण्डल, अजमेर



12.	श्री तरुण सैनी / रामनिवास सैनी	17.09.1997	112220	434	OBC	OBC	राजस्व मण्डल, अजमेर
13.	श्री सुरेश कुमार शर्मा / बाबू लाल शर्मा	20.04.1992	160415	456	GEN - EWS	GEN - EWS	राजस्व मण्डल, अजमेर
14.	श्री हरेन्द्र चौहान / शंकर लाल चौहान	08.05.2000	108845	480	SC	SC	राजस्व मण्डल, अजमेर
15.	श्री दिवाकर सांखला / घनश्याम सांखला	20.08.1997	111114	532	OBC	OBC	राजस्व मण्डल, अजमेर
16.	श्रीमती दुर्गा कुमावत / तिलोक चंद	09.08.1996	106529	551	OBC	OBC	राजस्व मण्डल, अजमेर
17.	सुश्री प्रियंका मित्तल / प्रदीप कुमार मित्तल	09.01.1999	110240	557	GEN - EWS	GEN - EWS	राजस्व मण्डल, अजमेर
18.	श्री रमेश कुमार / पूर्णाराम गोदारा	05.07.1999	131028	620	OBC	OBC	राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
19.	श्री सागर कुमार सैन / मुकेश कुमार सैन	20.08.1997	105126	621	OBC	OBC	राजस्व मण्डल, अजमेर
20.	श्री मनोहर लाल गुर्जर / हेमा राम गुर्जर	10.07.1995	109734	776	MBC	MBC	राजस्व मण्डल, अजमेर
21.	श्री नवीन कुमार / मंगल देव	24.03.1992	112751	1089	SC	SC	राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
22.	श्रीमती हेमलता / बनवारी लाल मेघवाल	21.10.1991	109154	1151	SC	SC	राजस्व मण्डल, अजमेर
23.	सुश्री अल्का / रिछपाल चौला	09.11.1998	155212	1518	SC	SC	राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर
24.	श्री विष्णु कुमार मीना / सतीश कुमार मीना	04.09.1997	157709	1860	ST	ST	विशेषाधिकारी (उप विधि परामर्शी), राजस्व मण्डल, अजमेर मुख्यालय कलेक्ट्रेट, जयपुर
25.	श्रीमती अंकिता कनोजिया / राजेन्द्र कुमार कनोजिया	08.09.1993	141108	1871	SC	SC	राजस्व मण्डल, अजमेर
26.	श्री लोकेन्द्र कुमार तंवर / दुर्गालाल तंवर	11.03.2000	113686	1932	SC	SC	राजस्व अपील प्राधिकारी, पाती
27.	सुश्री सपना बम्बणावत / नरेश चन्द मीणा	23.10.1999	112134	2080	ST	ST	राजस्व मण्डल, अजमेर
28.	श्री राकेश मीना / रूपसिंह मीना	03.08.1994	112289	2231	ST	ST	राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
29.	श्री मनोहर लाल / मैरा राम	02.10.1989	132842	4679	OBC	OBC H_BLV	राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी:-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी दिनांक से 03 सप्ताह के भीतर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश नियत अवधि तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।



2. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. परीक्षा काल में उन्हें नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त (सेवान्मुक्त) किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 में सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में ही रहेगी।
7. परीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाम देय होंगे।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करते समय, पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेंगी।
11. परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट- IV के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
12. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक केलण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति केलण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
17. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

आदेशानुसार


(महावीर प्रसाद)
निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: सम/9054-9111

दिनांक:- 05/8/2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 13.07.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. निजी सचिव, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. राजस्व अपील प्राधिकारी..... समस्त।
7. विशेषाधिकारी(उप विधि परामर्शी), राजस्व मण्डल, अजमेर मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय..... जयपुर/जोधपुर।
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....।
9. कोषाधिकारी.....।
10. अतिरिक्त निबन्धक (न्याय), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/विभागीय जॉच/बिल्स), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. श्री/श्रीमती/सुश्री..... संबन्धित अभ्यर्थी।
14. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।


उप निबन्धक(प्रशासन)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर